राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01026/2024

शशि भूषण सेन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), निवाई, टोंक, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 19.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जय उपाध्याय, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), निवाई, टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के खण्ड मालपुरा जिला टोंक में किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.04.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा जिला टोंक में हुई थी। अपीलार्थी की वर्ष 2017 में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हुई तथा अपीलार्थी ने सहायक अभियंता, पीएचईडी, जिला उप–सभाग, टोंक में दिनांक 17.11.2017 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी का फिर से वर्ष 2019 में स्थानान्तरण सहायक अभियंता, पीएचईडी, सेक्सन टोंक में किया गया। आदेश दिनांक 10.05.2023 (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई तथा अपीलार्थी का सहायक अभियंता, ग्रामीण उप–सभांग, रामगंजमंडी, जिला कोटा में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी का पुनः आदेश दिनांक 09.06.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्थानान्तरण सहायक अभियंता, पीएचईडी, उप–संभाग निवाई, जिला टोंक में किया गया। अपीलार्थी का पिछले 8 महीनों में लगातार तीन बार स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का बच्चे निवाई में अध्ययनरत है

तथा अपीलार्थी की पत्नी वर्तमान में गर्भवती है जिनकी देखभाल के लिए अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना विवेक का प्रयोग किए किया गया है जो कि अनुचित एंव विधि विरूद्ध है।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), निवाई, टोंक में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), निवाई, टोंक में दिनांक 14.06.2023 से कार्यरत है एवं निवाई मुख्यालय पर दिनांक 09.10.2019 से कार्यरत है। प्रस्तुत पदस्थापन तालिका से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पूरी सेवा जिला टोंक की है। आलौच्य आदेश में भी उसे टोंक में ही पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। इसमें किसी तरह की दुर्भावना या नियमों का उल्लघंन परीलक्षित नहीं हो रहा है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य